

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 114 / 2025 बउनवानी हेमा मीना बनाम अति०जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
निवासी महुँकलां तहसील गंगापुर सिटी

GCMS No-2025/ 223

Appeal Number- 321809784916812

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

तारीख
हुकम
3.9.2025

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नहीं हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 21.7.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति०जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर "नगर परिषद, पंचायत समिति, जयपुर विधुत वितरण निगम लि०,सा०नि०विभाग, जलदाय विभाग, कृषि उपजमण्डी से संबंधित कुल 6 बिन्दुओं की प्रमाणित सूचना" अति० जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयवधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु पोर्टल के माध्यम से ही आदेशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति०जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के पत्रांक/आरटीआई / 2025 / 829-30 दिनांक 28.8.2025 से अवगत करवाया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 21.7.2025 मे चाही गयी सूचना का संबंध आयुक्त नगर परिषद, विकास अधिकारी पंचायत समिति, सहायक अभियंता, जयपुर विधुत वितरण निगम,सा०नि०विभाग जलदाय विभाग कृषि उपजमण्डी गंगापुर सिटी से है जो अधिनियम की धारा 6(3) के तहत संबंधित लोक सूचना अधिकारी को अन्तरित किया जाना था किन्तु तकनीकी कारण से उक्त प्रार्थना पत्र तत्समय संबंधित विभाग को अन्तरित नहीं किया है जो अब जरिये पत्रांक 823-28 दिनांक 28.8.2025 से संबंधित विभाग को ऑफ लाईन अन्तरित किया जाकर संबंधित को सूचना उपलब्ध करवाने बाबत लिखा जाकर अपीलान्ट को सूचित किया जा चुका है कि संबंधित लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय से सूचना प्राप्त करे।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 21.7.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना का संबंध आयुक्त नगर परिषद, विकास अधिकारी पंचायत समिति, सहायक अभियंता जयपुर विधुत वितरण निगम,सा०नि०विभाग,जलदाय विभाग, कृषि उपजमण्डी गंगापुर सिटी से होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 28.8.2025 को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचित किया गया है किन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से ही अधिनियम की धारा 6(3) के तहत तत्समय ही अन्तरित किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि लोक सूचना अधिकारी आरटीआई पोर्टल के प्रति सजग नहीं है। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में आरटीआई पोर्टल अपडेट रखा जावे एवं पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होने वाले आरटीआई प्रार्थना पत्रों का नियत समयवधि मे निस्तारण किया जावे। अपीलान्ट को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय से सूचना प्राप्त करे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

(का.का.अ.)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर